न्यायालय– सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम , डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 133/2020

राजेश कुमार ओझा .....वादी

बनाम्

शम्भूनाथ मिश्रा वगै0.....प्रतिवादीगण

आदेश

19.12.2024 वादी की पैरवी नहीं है। प्रतिवादीगण की हाजरी है। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी सं0 15 मनीष कुमार ओझा न्यायालय में उपस्थित है। प्रतिवादी सं0 15 मनीष कुमार ओझा तथा प्रतिवादी सं0 23 दिनेश कुमार ओझा के विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 06.03.2024 अंतर्गत आदेश 23 नियम 01 वो आदेश 01 नियम 10 वो धारा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुए यह कथन करते हैं कि यह उदघोषित करने के लिए दाखिल किया गया है कि अवर न्यायाधीश प्रथम बक्सर द्वारा स्वत्व वाद सं0 65/1989 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.1992 एवं वो डिक्री दिनांक 05.09.1992 अवैध, कपटपूर्ण एवं शून्य है। इस वाद में प्रतिवादी सं0 15 व 23 द्वारा प्रतिवाद पत्र दिनांक 31.01.2024 को दाखिल कर यह स्वीकार किया गया है कि मौजा रूपाह थाना नं0 244 थाना ब्रहम्पुर जिला बक्सर के खाता सं0 16, खेसरा सं0 174, 42 वो 44 की एराजी प्रतिवादी सं0 23 वगै0 की है तथा खाता सं0 14 खेसरा 126 की एराजी प्रतिवादी सं0 14 ता 16 की संयुक्त सम्पत्ति है जो प्रार्थी के पिता के क्रय की गई एराजी है तथा प्रार्थी के पिता के मृत्यु के पश्चात उक्त भूखंड पर प्रतिवादी सं0 14 ता 16 संयुक्त रूप से कब्जे–दखल में चले आते है। इसी प्रकार मौजा कर्णपूरा, थाना नं0 241 थाना ब्रहम्पुर जिला बक्सर के खाता सं0 95, खेसरा 509 वो 510 की एराजी भी प्रतिवादी सं0 15 वगै0 की है। जिससे प्रतिवादी प्रथम पक्ष को कभी कोई ईलाका वो सरोकार नहीं रहा है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में यह भी स्वीकार किया गया है कि कथित स्वत्व वाद सं0 65/1989 में पारित निर्णय व डिक्री कपटपूर्ण है तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष में बिल्कुल गैर–कानूनी तरीके से न्यायालय के उपर कपटपूर्ण प्रैक्टिस करते हुए वादी सहित प्रतिवादीगण की भी जायदाद हडपने की नियत से बिल्कुल गोपनीय तरीके से अनेको जाल–फरेब किये है। प्रतिवादीगण के

लगातार
19.12.2024

विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल किये जाने के बाद वादी इस वाद में समुचित पैरवी करना छोड़ दिये है जबकि इस वाद में प्रार्थी का भी हक व अख्तीयार का निर्धारण किया जाना आवश्यक है तथा अनुरोध करते हैं कि प्रार्थी प्रतिवादीगण को वादी के रूप में स्थानान्तरित करने संबंधित आदेश परित किया जाय।

प्रतिवादी सं0 01 वो 17 के तरफ से दिनांक 29.07.2024 को दाखिल प्रति–उत्तर को प्रचालित करते हुए। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी सं0 15 व 23 द्वारा दाखिल आवेदन कानूनतः पोषणीय नहीं है तथा गलत तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण ने वादी के रूप में ट्रांसपोज होने का झूठा सवाल दिया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि इस वाद में प्रतिवादी सं0 15 के रूप में मनिष कुमार ओझा एवं प्रतिवादी सं0 23 के रूप में दिनेश ओझा दर्ज है। जबकि आवेदन दिनेश कुमार ओझा और अनिल कुमार ओझा की ओर से दाखिल किया गया है। जिसमें अनिल कुमार ओझा इस वाद में पक्षकार ही नहीं है। ऐसी दशा में उनको ट्रांसपोज होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि इस वाद के मुदई की नम्बरी मुकदमा सं0 65@1989 की कोई सम्पत्ति शामिल नहीं रही और न उनको कोई स्वत्व व रूचि रहा। इसी तरह के अन्य नम्बरी मुकदमा 121@2019 किये है जो न्यायालय सब जज् द्वितीय के न्यायालय में लंबित है तथा प्रतिवादी अपनी असफलता देखकर यह ट्रांसपोज का झूठा आवेदन दाखिल किया है जो पोषणीय नहीं है तथा खर्चा के साथ खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने यह वाद यह घोषित करने हेतू लाया है कि अवर न्यायाधीश प्रथम, बक्सर द्वारा मुकदमा नं0 65@1989 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.1992 एवं डिक्री दिनांक 05.09.1992 कपटपूर्ण, गैर–कानूनी और शून्य है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने प्रति–उत्तर के पारा 05 में यह कथन कि अनिल कुमार ओझा पक्षकार नहीं है सही है। प्रतिवादी सं0 15 मनीष कुमार ओझा न्यायालय में उपस्थित है तथा आधार कार्ड की छाया प्रति उनके द्वारा दाखिल किया गया तथा उनका कथन है कि प्रतिवादी सं0 15 और 23 के द्वारा दाखिल आवेदन

लगातार
19.12.2024

दिनांक 06.03.2024 मनीष कुमार ओझा और दिनेश कुमार ओझा के हस्ताक्षर से शपथ पत्र एवं अधिवक्ता के अधिकार पत्र के साथ दाखिल किया गया हैं तथा इस आवेदन में कोई अनिल कुमार ओझा का हस्ताक्षर नहीं है। बल्कि वह हस्ताक्षर मनीष कुमार ओझा द्वारा किया गया है तथा वह अपने हस्ताक्षर को पहचानते है। चूकि वादी अपना पैरवी करना छोड दिया है जबकि वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति अंकित किया गया है चकिं प्रतिवादी सं0 15 और 23 का हित इस वाद में समाहित है तथा वादी और प्रतिवादी व सभी सहभागी है। प्रतिवादी और विषयवस्तु संम्पत्ति के संबंध में वादी के साथ समान हित है। अतः प्रतिवादी सं0 15 और 23 को प्रस्तुत वाद को वादी के रूप में मुकदमा को संघर्ष करने का मौका प्रदान किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रतिवादी सं0 15 मनीष कुमार ओझा तथा प्रतिवादी सं0 23 दिनेश कुमार ओझा दाखिल आवेदन दिनांक 06.03.2024 अंतर्गत आदेश 23 नियम 01 वो आदेश 01 नियम 10 वो धारा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 15 मनीष कुमार ओझा तथा प्रतिवादी सं0 23 दिनेश कुमार ओझा को इस वाद में वादी के रूप में ट्रांसपोज किया जाता है। कार्यालय प्रतिवादी सं0 15 मनीष कुमार ओझा तथा प्रतिवादी सं0 23 दिनेश कुमार ओझा को इस वाद में वादी के रूप में ट्रांसपोज करे।

दिनांक–30.01.2025 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव